न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2016 Gems No 2016/00044
दायरा तिथि : 25.02.2016
प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2022 फाईनल डिक्री दिनांकः– 15-01-2024
वादीः–
लादाराम पुत्र वागाराम चौधरी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व0 जोधाराम पुत्र दलाराम के कायम मुकाम वारिसानः–
   - 1/1 प्रकाश चौधरी पुत्र स्व0 जोधाराम चौधरी
   - 1/2 श्याम चौधरी पुत्र जोधाराम के कायम मुकाम वारिशः
     - 1/2/1 श्रीमति धनी पत्नि स्व0 श्याम चौधरी
     - 1/2/2 लक्षमण पुत्र श्याम चौधरी
     - 1/2/3 ललित पुत्र स्व0 श्याम चौधरी
     - 1/2/4 सुश्री पुष्पा उर्फ पुसिया पुत्री स्व0 श्याम चौधरी
   - 1/3 श्री नेताराम चौधरी पुत्र स्व0 जोधाराम चौधरी
   - 1/4 श्रीमति जतुदेवी पुत्री स्व0 जोधाराम चौधरी पत्नि श्री वजाराम चौधरी
   - 1/5 श्रीमति मुलीदेवी पुत्री स्व0 जोधाराम चौधरी पत्नि वागाराम चौधरी
   - 1/6 श्रीमति रूकमीबाई पत्नि स्व0 जोधाराम चौधरी समस्त जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण खुडाला फालना तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. स्व0 दानाराम पुत्र गजाराम के कायम मुकाम वारिसानः
   - 2/1 वीराराम चौधरी पुत्र दानाराम चौधरी जाति जणवा चौधरी
   - 2/2 स्व0 भैरूलाल चौधरी पुत्र दानाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिसानः–
     - 2/2/1 श्रीमति तेजुदेवी चौधरी पत्नि स्व0 भैरूलाल चौधरी
     - 2/2/2 लक्ष्मणकुमार चौधरी पुत्र स्व0 भैरूलाल चौधरी
     - 2/2/3 प्रकाश कुमार चौधरी पुत्र स्व0 भैरूलाल चौधरी
     - 2/2/4 श्रीमति जशोदा पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी पत्नि श्री गोमाराम
     - 2/2/5 श्रीमति सुशीला पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी पत्नि दलपतजी
     - 2/2/6 श्रीमति हेमलता पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी समस्त जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. स्व0 खांगाराम पुत्र स्व0 गजाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिशानः–
   - 3/1 भूताराम पुत्र स्व0 खांगाराम चौधरी
   - 3/2 स्व0 भगाराम चौधरी पुत्र स्व0 खांगाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिसानः–
     - 3/2/1 श्रीमति सुखीबाई पत्नि स्व0 भगाराम चौधरी
     - 3/2/2 श्रीमति राधा पुत्री स्व0 भगाराम चौधरी
     - 3/2/3 श्रीमति लता पुत्री स्व0 भगाराम चौधरी तमाम जातिगण जणवा चौधरी निवासी खुडाला
4. स्व0 हीरालाल चौधरी पुत्र स्व0 गजाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिशानः–
   - 4/1 नरसींगराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   - 4/2 भेराराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   - 4/3 कुपाराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   - 4/4 श्रीमति गंगादेवी पत्नि स्व0 हीरालाल चौधरी समस्त जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण खुडाला फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–
1.श्री भरत जे राठौड........................ अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री नेकाराम चौधरी .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 के कामु. की ओर से
3. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 की ओर से
3. पाबंद तहसीलदार बाली ....पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15-01-2024

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 946 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 949 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 950 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नंबर 951 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 952 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 953 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 954

पेज लगातार............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2016 Gcms No 2016/00044
अनवान लादाराम बनाम जोधाराम के कायम मुकाम प्रकाश वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रकबा 0.45 हैक्टर कुल खसरा–09 कुल रकवा 3.1000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल व गै.मु. मकान एवं गै.मु. बेरा कुल लगान 120.42 रूपये के संबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में स्व0 गजाराम, स्व0 दलाराम व स्व0 वागाराम पुत्रगण ओकाराम चौधरी का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित होने तथा स्व0 वागाराम पुत्र ओकाराम के वादी ईकलौता वारिश होने से पुश्तैनी हिस्से व कब्जे के काश्त के अनुसार वादी को 1/3 हिस्सा का एवं स्व0 दलाराम के वारिशान प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा तथा स्व0 गजाराम के वारिशानः प्रतिवादी संख्या–02, 03, 04 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य पुर्वजो के समय से मौके पर किये गये विभाजन माफिक वादी के हिस्से में खसरा नंबर 952 मेंसे 0.06 हैक्टर भूमि जो खसरा नंबर 953 से लगती हुई है, उसमें से प्रतिवादी संख्या 01 को दी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के हिस्से बंट की भूमि खसरा नंबर 951 मेंसे 0.04 हैक्टर भूमि जो खसरा नंबर 950 से लगती हुई है, उस मेंसे प्रतिवादी संख्या 01 को दी जावे, इस प्रकार प्रत्येक वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में 0.99 हैक्टर भूमि रखी जाकर विभाजन किया जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के खसरा नंबर 947 व 948 की कुल भूमि 0.13 हैक्टर को तीन भागो में विभक्त कर प्रत्येक को 0.04 हैक्टर भूमि मौके पर काबिज अनुसार दी जावे। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि से जाने के लिए संयुक्त तौर रखा गया रास्ता खसरा नंबर 947 से 954 तक की चौडाई 12–13 फीट रखते हुये विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति प्रदर्श–01, नजरी नक्शा प्रदर्श–02, बंटवाडा लिखत दिनांक 10.07.2008 की प्रति पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह **P.W. 01** वादी स्वयं लादाराम चौधरी पुत्र वागाराम चौधरी व अन्य स्वतंत्र गवाह समाराम पुत्र श्री साखाराम जाति चौधरी आयु 31 वर्ष निवासी खुडाला के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी के माध्यम से जवावदावा पेश कर वादग्रस्त भूमि का मौके पर हुए विभाजन अनुसार वंटवारा किये जाने बावत् सहमति प्रकट की गई तथा साथ ही जवाबदावा में उल्लेखित किया गया कि खसरा नंबर 947 रकवा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा वर्तमान में जर्जर हो चुका है, जिसको बंद किये जाने का निवेदन किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा जवावदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में किये गये विभाजन के बंटवारा का लिखत वर्ष 1971 में लिखा गया; उस लिखत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन बाद में वादी ने वर्ष 1994 में गैर मुमकीन सडा में विवाद पैदा किया जस पर गांव के मौजीज व्यक्तियों के रूबरू सडा(गुआ) का बंटवाडा किया जाकर पत्थरगढी की गई और इसका एक लिखत भी लिखा गया। इसके बावजुद वादी विवाद पैदा करने लगा। वादी ने अपने वाद में खसरा नंबर 949 व 452 की कुल 1.05 हैक्टर भूमि बंट कब्जे में होना गलत तौर से वर्णित किया है। जिससे वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से का वादी, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या–01 एवं 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 का खातेदार घोषित करते हुये इन्ही हिस्सो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य फोटो कॉपी लिखत बंटवाडे बाबत् दिनांक 09.09.1994, दिनांक 12.09.1971, दिनांक 10.07.2008 की प्रतियॉं पेश की गई। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य साक्ष्य गवाह **D.W. 01** प्रतिवादी संख्या 3/1 भुताराम पुत्र खांगारामजी चौधरी आयु 60 वर्ष व गवाह **D.W. 02** प्रतिवादी संख्या 4/3 कुपाराम पुत्र हीराराम जाति जणवा चौधरी आयु 55 वर्ष निवासी खुडाला के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य पुर्ण होने के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी श्री भरत जे. राठौड ने बहस में दलील दी ग्राम खुडाला में स्थित भूमि खसरा नंबर 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा पुश्तैनी हक अनुसार आता है, जिस भूमि का पक्षकारो के मध्य भौतिक तौर से पुर्व में विभाजन हो चुका है, जिसके अनुसार पक्षकार मौके पर भी काबिज है, परन्तु अधिकार अभिलेखों में भूमि संयुक्त तौर से दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड में हिस्से नही दर्शाने से वादी द्वारा घोषणा खातेदारी के साथ विभाजन का वाद पेश किया था।

पेज लगातार..........03

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2016 Gcms No 2016/00044
अनवान लादाराम बनाम जोधाराम के कायम मुकाम प्रकाश वगैरा
<u>अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

वाद कार्यवाही के चलते सेग्रीगेशन की कार्यवाही में हिस्सा कस्सी त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्ज होने से वादी द्वारा शुद्धि का आवेदन पेश किया था, जिस आवेदन पर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, तथा जांच रिपोर्ट में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 1/3 हिस्सा होने की पुष्टि भी की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो गवाह **P.W. 01** वादी स्वयं लादाराम चौधरी पुत्र वागाराम चौधरी व अन्य स्वतंत्र गवाह समाराम पुत्र श्री सखाराम जाति चौधरी आयु 31 वर्ष निवासी खुडाला के बयानो के अनुसार वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को 1/3 हिस्सा का टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित करते हुये वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में निम्नानुसार भूमि रखते हुये विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई:–

नाम पक्षकार	**हिस्से में बंट में रखी भूमि का विवरण**
वादी के हिस्से बंट की भूमि	**खसरा नंबर 949, 952 कुल रकबा (1.05 हैक्टर –0.06)= 0.99 हैक्टर**
प्रतिवादी संख्या–01 के बंट की भूमि	खसरा नंबर 950 व 953 की भूमि (0.89 हैक्टर+0.06+0.04))= 0.99 हैक्टर (एवं खसरा नंबर **952 मेंसे** खसरा नंबर 953 से लगती हुई 0.06 हैक्टर व खसरा नंबर **951 मेंसे** खसरा नंबर 950 से लगती हुई 0.04 हैक्टर)
प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के हिस्से बंट की भूमि	खसरा नंबर 946, 951, 954 कुल रकबा 1.03–0.04)= 0.99 हैक्टर खसरा नंबर 951 मेंसे 0.04 हैक्टर भूमि जो खसरा नंबर 950 से लगती हुई है, प्रतिवादी संख्या–01 के हिस्से बंट में रहेगी
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के संयुक्त	खसरा नंबर 947 व 948 गैर मुमकीन बेरा व मकान कुल रकबा 0.13 हैक्टर के तीन हिस्से प्रत्येक के 0.04 हैक्टर

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 से 04 श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 1/3 हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य हैं तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि खुडाला के खसरा नंबर 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 भूमि राजस्व अभिलेखों में संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा पुश्तैनी हक अनुसार होना स्वीकार करते है। अर्थात् वादी के 1/3 हिस्सा को प्रतिवादी स्वीकार करते है। परन्तु वादी पक्ष की दलील हैं कि पक्षकारो के पुर्वजो के समय मौके पर हुये भौतिक विभाजन में वादी के खसरा नंबर 949 व 952 की भूमि रखी गई है, जिससे मौके की भौतिक स्थिति अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। इसके विपरित प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की दलील हैं कि वादी वर्ष 1971 के विभाजन को नहीं मान रहा है, अतः रिकार्ड में निहित वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊंण्डस के विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 946 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 949 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 950 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नंबर 951 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 952 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 953 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 954 रकबा 0.45 हैक्टर कुल खसरा–09 कुल रकबा 3.[illegible]00 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल व गै.मु. मकान एवं गै.मु. बेरा कुल लगान 120.42 रूपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादी को 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या–01 को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा साथ ही उक्त घोषित खातेदारी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य मौके की भौतिक स्थिति के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2022 को जारी की गई। तथा जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये गए कि वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज करते हुये मौके की भौतिक स्थिति अनुसार घोषित खातेदारी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

पेज लगातार...........04

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2016 Gems No 2016/00044
अनवान लादाराम बनाम जोधाराम के कायम मुकाम प्रकाश वगैरा
<u>अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों पटवारी हल्का खुडाला व भु–अभिलेख निरीक्षक खुडाला ने जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुए निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये:–

क्र. सं	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
1.	कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा– 1/36 गंगा देवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/36 जतु देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा– 1/18 जशोदा पुत्री भेरूलाल हिस्सा – 1/108 तेजु देवी पत्नि भेरूलाल हिस्सा – 1/108 धनीबाई पत्नि श्यामलाल हिस्सा – 1/72 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36 प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 प्रकाश कुमार पुत्र भेरूलाल हिस्सा –1/108 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा – 1/72 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/18 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36 मुली देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/18 रूकमोबाई पत्नि जोधाराम हिस्सा – 1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 लक्ष्मण कुमार पुत्र भेरूलाल हिस्सा –1/108 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा– 1/72 लता पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा –1/72 लादाराम पुत्र बागा हिस्सा–1/3 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फालना (1/3) वीराराम पुत्र दाना हिस्सा – 1/18 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा – 1/54 सुशीला पुत्री भैरूलाल हिस्सा– 1/108 हेमलता पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/108 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार	947 948 949 950 951 952 953 7	0.02 0.1 0.0140 0.0120 0.0120 0.0116 0.0124 0.192	गै.मु. बेरा गै.मु. मकान चा.प्र. 0.0140 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0116 चा.प्र. 0.0124 –	– – 0.0574 0.492 0.492 0.4756 0.5084 2.542	हरा
2.	प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 जतु पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 मुली पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 रूकमो पत्नि जोधाराम हिस्सा– 1/6 धनी बाई पत्नि जोधाराम हिस्सा –1/24 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा–1/24 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा – 1/24 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा –1/24 जाति– सिरवी सा. देह खातेदार	950 952 953 951 4	0.4580 0.0550 0.4076 0.0487 0.9693	चा.प्र. 0.4580 चा.प्र. 0.0550 चा.प्र. 0.4076 चा.प्र. 0.0487 –	18.778 2.255 16.7116 1.9967 39.7413	केसरिया

उप-खण्ड अधिकारी ... (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

3.	वीराराम पुत्र दाना हिस्सा– 1/6 तेजुदेवी पत्नि भैरूलाल हिस्सा – 1/36 लक्ष्मण कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा– 1/36 प्रकाश कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा –1/36 जशोदा पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 सुशीला पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 हेमलता पुत्री भैरूलाल हिस्सा– 1/36 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/36 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा –1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 लता पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/12 गंगादेवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/12 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार	954 946 951	0.45 0.12 0.3993	चा.प्र. 0.45 चा.प्र. 0.07 जा.अ. 0.05 चा.प्र. 0.3993	18.45 2.87 0.70 16.3713	आसमानी
		3	0.9693	–	38.3913	
4.	लादाराम पुत्र बागा हिस्सा– पूर्ण राहिन हिस्सा –(पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–फालना जाति–सिरवी सा.देह खातेदार	949 952	0.6060 0.3834	चा.प्र. 0.6060 चा.प्र. 0.3834	24.846 14.8994	गुलाबी
		2	0.9694	–	39.7394	

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी श्री भरत जे राठौड ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के सबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही वकील वादी की दलीलो का खण्डन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही है, तथा रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में भूमि रखी गई है तथा साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आवागमन के लिये रास्ते इत्यादि की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। जिससे प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि खुडाला के खसरा नंबर 946 से 954 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3. 10 हैक्टर कुल लगान 120.42 रूपये के संबंध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2023/562 दिनांक 5.07.2023 के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

क्र. स	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
1.	कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा– 1/36 गंगा देवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/36 जतु देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा– 1/18 जशोदा पुत्री भेरूलाल हिस्सा – 1/108 तेजु देवी पत्नि भेरूलाल हिस्सा – 1/108 धनीबाई पत्नि श्यामलाल हिस्सा – 1/72 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36 प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 प्रकाश कुमार पुत्र भेरूलाल हिस्सा –1/108 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा – 1/72 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/18 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36	947 948 949 950 951 952 953	0.02 0.1 0.0140 0.0120 0.0120 0.0116 0.0124	गै.मु. बेरा गै.मु. मकान चा.प्र. 0.0140 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0116 चा.प्र. 0.0124	– – 0.0574 0.492 0.492 0.4756 0.5084	हरा
		7	0.192	–	2.542	

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

	मुली देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/18 रूकमोबाई पत्नि जोधाराम हिस्सा – 1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 लक्ष्मण कुमार पुत्र भेरूलाल हिस्सा –1/108 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा– 1/72 लता पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा–1/72 लादाराम पुत्र बागा हिस्सा–1/3 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फालना (1/3) वीराराम पुत्र दाना हिस्सा – 1/18 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा – 1/54 सुशीला पुत्री भैरूलाल हिस्सा– 1/108 हेमलता पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/108 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार					
2.	प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 जतु पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 मुली पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 रूकमो पत्नि जोधाराम हिस्सा– 1/6 धनी बाई पत्नि जोधाराम हिस्सा –1/24 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा–1/24 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा – 1/24 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा –1/24 जाति– सिरवी सा. देह खातेदार	950 952 953 951	0.4580 0.0550 0.4076 0.0487	चा.प्र. 0.4580 चा.प्र. 0.0550 चा.प्र. 0.4076 चा.प्र. 0.0487	18.778 2.255 16.7116 1.9967	[illegible]
		4	0.9693	–	39.7413	
3.	वीराराम पुत्र दाना हिस्सा– 1/6 तेजुदेवी पत्नि भैरूलाल हिस्सा – 1/36 लक्ष्मण कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा– 1/36 प्रकाश कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा –1/36 जशोदा पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 सुशीला पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 हेमलता पुत्री भैरूलाल हिस्सा– 1/36 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/36 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा –1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 लता पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/12 गंगादेवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/12 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार	954 946 951	0.45 0.12 0.3993	चा.प्र. 0.45 चा.प्र. 0.07 जा.अ. 0.05 चा.प्र. 0.3993	18.45 2.87 0.70 16.3713	[illegible]
		3	0.9693	–	38.3913	
4.	लादाराम पुत्र बागा हिस्सा– पूर्ण राहिन हिस्सा –(पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–फालना जाति–सिरवी सा.देह खातेदार	949 952	0.6060 0.3634	चा.प्र. 0.6060 चा.प्र. 0.3634	24.846 14.8994	[illegible]
		2	0.9694	–	39.7394	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाली

निर्णय आज दिनांक 15-01-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादीः-

लादाराम पुत्र वागाराम चौधरी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. स्व0 जोधाराम पुत्र दलाराम के कायम मुकाम वारिसानः-
   1/1 प्रकाश चौधरी पुत्र स्व0 जोधाराम चौधरी
   1/2 श्याम चौधरी पुत्र जोधाराम के कायम मुकाम वारिशः
   1/2/1 श्रीमति धनी पत्नि स्व0 श्याम चौधरी
   1/2/2 लक्ष्मण पुत्र श्याम चौधरी
   1/2/3 ललित पुत्र स्व0 श्याम चौधरी
   1/2/4 सुश्री पुष्पा उर्फ पुरिया पुत्री स्व0 श्याम चौधरी
   1/3 श्री नेहाराम चौधरी पुत्र स्व0 जोधाराम चौधरी
   1/4 श्रीमति जतुदेवी पुत्री स्व0 जोधाराम चौधरी पत्नि श्री वजाराम चौधरी
   1/5 श्रीमति गुलीदेवी पुत्री स्व0 जोधाराम चौधरी पत्नि वागाराम चौधरी
   1/6 श्रीमति रूकमीबाई पत्नि स्व0 जोधाराम चौधरी समस्त जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण खुडाला फालना तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. स्व0 दानाराम पुत्र गजाराम के कायम मुकाम वारिसानः
   2/1 वीराराम चौधरी पुत्र दानाराम चौधरी जाति जणवा चौधरी
   2/2 स्व0 भैरूलाल चौधरी पुत्र दानाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिसानः-
   2/2/1 श्रीमति तेजुदेवी चौधरी पत्नि स्व0 भैरूलाल चौधरी
   2/2/2 लक्ष्मणकुमार चौधरी पुत्र स्व0 भैरूलाल चौधरी
   2/2/3 प्रकाश कुमार चौधरी पुत्र स्व0 भैरूलाल चौधरी
   2/2/4 श्रीमति जशोदा पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी पत्नि श्री गोमाराम
   2/2/5 श्रीमति सुशीला पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी पत्नि दलपतजी
   2/2/6 श्रीमति हेमलता पुत्री स्व0 भैरूलाल चौधरी
   समस्त जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. स्व0 खांगाराम पुत्र स्व0 गजाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिशानः-
   3/1 भूलाराम पुत्र स्व0 खांगाराम चौधरी
   3/2 स्व0 भगाराम चौधरी पुत्र स्व0 खांगाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिसानः-
   3/2/1 श्रीमति सुखीबाई पत्नि स्व0 भगाराम चौधरी
   3/2/2 श्रीमति राधा पुत्री स्व0 भगाराम चौधरी
   3/2/3 श्रीमति लता पुत्री स्व0 भगाराम चौधरी तमाम जातिगण जणवा चौधरी निवासी खुडाला
4. स्व0 हीरालाल चौधरी पुत्र स्व0 गजाराम चौधरी के कायम मुकाम वारिशानः-
   4/1 नरसींगराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   4/2 भेराराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   4/3 कुपाराम चौधरी पुत्र स्व0 हीरालाल चौधरी
   4/4 श्रीमति गंगादेवी पत्नि स्व0 हीरालाल चौधरी समस्त जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण खुडाला फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2016 Cems No 2016/00044
अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 946 से 954 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कुल लगान 120.42 रूपये के संबंध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2023/562 दिनांक 5.07.2023 के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
1.	कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा– 1/36 गंगा देवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/36 जतु देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा– 1/18 जशोदा पुत्री भेरुलाल हिस्सा – 1/108 तेजु देवी पत्नि भेरुलाल हिस्सा – 1/108 धनीबाई पत्नि श्यामलाल हिस्सा – 1/72 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36 प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा– 1/18 प्रकाश कुमार पुत्र भेरुलाल हिस्सा –1/108 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा – 1/72 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/18 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/36 मुली देवी पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/18 रुकमोबाई पत्नि जोधाराम हिस्सा – 1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 लक्ष्मण कुमार पुत्र भेरुलाल हिस्सा –1/108 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा– 1/72 लता पुत्री भगाराम हिस्सा – 1/54 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा–1/72 लादाराम पुत्र बागा हिस्सा–1/3 रहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कालना (1/3) हीराराम पुत्र दाना हिस्सा – 1/18 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा – 1/54 सुशीला पुत्री भेरुलाल हिस्सा– 1/108 हेमलता पुत्री भेरुलाल हिस्सा – 1/108 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार	947 948 949 950 951 952 953 7	0.02 0.1 0.0140 0.0120 0.0120 0.0116 0.0124 0.192	गै.मु. बेरा गै.मु. मकान चा.प्र. 0.0140 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0120 चा.प्र. 0.0116 चा.प्र. 0.0124 –	– – 0.0574 0.492 0.492 0.4756 0.5084 2.542	हरा
2.	प्रकाश पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 नेताराम पुत्र जोधाराम हिस्सा – 1/6 जतु पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 मुली पुत्री जोधाराम हिस्सा – 1/6 रुकमा पत्नि जोधाराम हिस्सा– 1/6 धनी बाई पत्नि जोधाराम हिस्सा –1/24 लक्ष्मण कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा–1/24 ललित कुमार पुत्र श्यामलाल हिस्सा – 1/24 पुष्पा पुत्री श्यामलाल हिस्सा –1/24 जाति– सिरवी सा. देह खातेदार	950 952 953 951 4	0.4580 0.0550 0.4076 0.0487 0.9693	चा.प्र. 0.4580 चा.प्र. 0.0550 चा.प्र. 0.4076 चा.प्र. 0.0487 –	18.778 2.255 16.7116 1.9967 39.7413	केसरिया

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

	वीराराम पुत्र दाना हिस्सा– 1/6 तेजुदेवी पत्नि भैरूलाल हिस्सा – 1/36 लक्ष्मण कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा– 1/36 प्रकाश कुमार पुत्र भैरूलाल हिस्सा –1/36 जशोदा पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 सुशीला पुत्री भैरूलाल हिस्सा – 1/36 हेमलता पुत्री भैरूलाल हिस्सा– 1/36 भूताराम पुत्र खांगा हिस्सा – 1/36 सुखी बाई पत्नि भगाराम हिस्सा –1/18 राधा पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 लता पुत्री भगाराम हिस्सा –1/18 नरसींगराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 भेराराम पुत्र हीरा हिस्सा –1/12 कुपाराम पुत्र हीरा हिस्सा – 1/12 गंगादेवी पत्नि हीरा हिस्सा – 1/12 जाति–सिरवी सा. देह खातेदार	954 946 951	0.45 0.12 0.3993	चा.प्र. 0.45 चा.प्र. 0.07 जा.अ. 0.05 चा.प्र. 0.3993	18.45 2.87 0.70 16.3713	आसमानी
		3	0.9693	–	38.3913	
4.	लादाराम पुत्र बागा हिस्सा– पूर्ण राहिन हिस्सा –(पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–फालना जाति–सिरवी सा.देह खातेदार	949 952	0.6060 0.3634	चा.प्र. 0.6060 चा.प्र. 0.3634	24.846 14.8994	गुलाबी
		2	0.9694	–	39.7394	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 120.42 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

(भागीरथ राम.)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.